भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3012

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

झारखंड में चिकित्सा महाविद्यालय

3012. श्री विष्णु दयाल राम:

श्री मनीष जायसवाल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने झारखंड के प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए आवंटित की गई कुल धनराशि कितनी है;

(घ) क्या झारखंड के कई जिलों में चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन जिलों में चिकित्सा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि की हिस्सेदारी पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत तीन चरणों में सभी परिकल्पित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, जिनमें झारखंड के विभिन्न जिलों

में 05 मेडिकल कॉलेज [चरण-I में - दुमका, हजारीबाग और पलामू (डाल्टनगंज) और चरण-II - में कोडरमा और चाईबासा (सिंहभूम)] शामिल हैं। 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए पूरा केंद्रीय हिस्सा राज्य सरकार को पहले ही जारी कर दिया गया है।

सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार लाने तथा नागरिकों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को पूरक सहायता देने तथा देश भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दी गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:-

(लाख रु.में)

वित्त वर्ष	राशि
2021-22	2,494.78
2022-23	9,373.36
2023-24	8,850.36

इसके अलावा, झारखंड राज्य में चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने और चिकित्सा मानकों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय/कदम इस प्रकार हैं: -

i. एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), जिसके तहत 120 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से 1 कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटें और 44.01 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से 2 कॉलेजों में 102 पीजी सीटें बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की गई है।
ii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के घटक "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें झारखंड राज्य की 2 परियोजनाएं शामिल हैं।
iii. पीएमएसएसवाई के तहत देवघर में एक एम्स के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

*****